UPLK010094752017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

विशेष परीक्षण सं0 493 / 2017

सरकार **बनाम** कल्लू मौर्या

अ0सं0 520 / 2013
धारा–376, भा0द0सं0
एवं धारा–3(2)5 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–मलिहाबाद, लखनऊ।

01–04–2026

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त कल्लू मौर्या जेरे जमानत न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376 भा0द0सं0 एवं धारा–3(2)5 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 15.05.2026 को पेश हो।

(हुसैन अहमद अंसारी)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010094752017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

विशेष परीक्षण सं0 493 / 2017

सरकार **बनाम** कल्लू मौर्या

अ0सं0 520 / 2013

धारा–376, भा0द0सं0

एवं धारा–3(2)5 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,

थाना–मलिहाबाद, लखनऊ।

आरोप

मैं, हुसैन अहमद अंसारी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त कल्लू मौर्या को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:–

प्रथमः यह कि दिनांक 17.09.2017 व समय 01.00 बजे दिन थाना मलिहाबाद, लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम ग्राम देवीखेड़ा में आप अभियुक्त कल्लू मौर्या द्वारा वादी मुकदमा विशनाथ की पुत्री कमलेश कुमारी के साथ बलात्कार किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त कल्लू मौर्या द्वारा वादी मुकदमा विशनाथ की पुत्री कमलेश कुमारी (जो अनुसूचित जाति की सदस्या है) से ऐसे ज्ञान व परिस्थितियों में उसके साथ बलात्कार किया। जो भारतीय दण्ड संहित के अधीन दस वर्ष की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)(V) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(हुसैन अहमद अंसारी)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी06158

दिनांकः 01–04–2026

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(हुसैन अहमद अंसारी)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी06158

दिनांकः 01–04–2026